न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– बाबूलाल जाट (R.A.S.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 471/2021(RCMS 2021/546)

प्रार्थीगण

1. किशोरसिंह पुत्र हनुमानसिंह राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मदनलाल पुत्र बीझाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
2. रतनाराम पुत्र स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
3. शांतिदेवी पत्नी स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
4. प्रभातीदेवी पुत्री स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
5. सेवाराम पुत्र स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
6. कृष्णा पुत्री स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
7. पूजा पुत्री स्व. केसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
8. आराम कंवर पत्नी कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
9. उषा पुत्री ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
10. कंचन कंवर पुत्री बालसिंह राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
11. किरण पुत्री ओमाराम मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
12. गीता कुंवर पुत्री कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
13. नानू कंवर पुत्री बालसिंह राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
14. पेफाराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
15. बरजीदेवी पत्नी ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
16. बिदाम कंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
17. भंवरसिंह पुत्र कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
18. भागुराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
19. मंजु पुत्री ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
20. मूली पुत्री ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
21. योगेश पुत्र ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
22. रूगनाथ पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
23. लक्ष्मणसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
24. सुरेश कुमार पुत्र ओमाराम जाति मेघवाल निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
25. सरोज कंवर पुत्री कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
26. सायर कंवर पुत्री कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
27. सीता कंवर पुत्री कुनणसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
28. हन्सु कंवर पुत्री बालसिंह जाति राजपूत निवासी चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी
29. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार तहसील कुचामनसिटी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T.Act 1955

उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्रसिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

आदेश

दिनॉक :– 14-03-2022

प्रस्तुत प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 462 रकबा 1.10 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 456 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.99 हैक्टर कुल रकबा 2.30 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 1 से 28 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की आई हुई है, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 462 में अपनी जोत तक पहुंचने व आवागमन के लिए कोई रास्ता नही है, प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 462 में अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 28 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 460 जो चावण्डिया से अड़कसर जाने वाली डामर सड़क के पास स्थित में से खसरा नम्बर 460 की उत्तर पूर्वी सीमा से 80 मीटर दूर तथा दक्षिण पूर्व सीमा से 74 मीटर दूर 9.20 मीटर चौड़ा व 46 मीटर लम्बा नया रास्ता कायम करवाना चाहता है जिससे की प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 462 में कृषि जोत करने, जिन्से लाने ले जाने, चारा पूस लाने ले जाने के लिए एवं आवागमन के लिए आवश्यक है जिसे नजरी नक्शे में पीली स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी नया रास्ता कायम करवाना चाहता है इस रास्ते के बीच से पेयजल की पाईप लाईन कदीमी डाली हुई है जिसकी मरम्मत वगैरह के लिए भी इसी जगह नया मार्ग कायम किया जाना आवश्यक है पानी की पाईप लाईन को मार्क एक्स व वाई से काली स्याही से दर्शाया गया है, खसरा नम्बर 458 में पूरे में आबादी बसी हुई है तथा पक्के मकान बने हुये है इस खसरे के नजदीक 462 है परन्तु सघन आबादी बसे हुये होने से प्रार्थी के खेत तक नया रास्ता कायम किया जाना सम्भव नही है तथा खसरा नम्बर 459 में भी पक्के मकान बने हुये है, प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462 में अपनी जोत तक पहुंचने व आवागमन के लिए खसरा नम्बर 460 में से नजरी नक्शें में दर्शित रास्ता सबसे निकटतम व छोटा (कम दूरी) का एक मात्र रास्ता है जो चावण्डिया से अड़कसर जाने वाली सड़क पर खुलता है, प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 462 में कृषि जोत व आवागमन हेतु नये कायम कराये जा रहे इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नही है तथा यही रास्ता सबसे निकटतम व छोटा रास्ता है जो प्रार्थी कायम करवाना चाहता है प्रार्थी रास्ते के बदले प्रतिकर देने को तैयार है जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित रिति अनुसार निर्धारित किया जायेगा। खसरा नम्बर 460 मे से प्रार्थी ने जिस जगह से रास्ता चाहा है वह भूमि अप्रार्थी सं. 1 ता 7 के कब्जे काश्त में है व मौके पर बंटी हुई है, प्रार्थी की इस्तदुआ है कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 462 में कृषि जोत व आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 के खेत खसरा के खेत खसरा नम्बर 460 की उत्तर पूर्वी सीमा से 80 मीटर दूर व दक्षिणी पूर्वी सीमा से 74 मीटर दूर जो नजरी नक्शे में बताये

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

गये पीली स्याही के स्थान का 46 मीटर लम्बा और 9.20 मीटर चौड़ा नया रास्ता कायम कर दिलाया जावे प्रार्थी निर्धारति रिति अनुसार प्रतिकर जमा कराने के लिए तैयार है उक्त रास्ते को जमाबंदी में दर्ज कर नक्शे में अंकन करने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 5, 7, 14, 15, 18, 21 प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के दौरान कैम्प दिनॉक 17.11.2021 को ग्राम पंचायत चावण्डिया शिविर में उपस्थित आये, तत्पश्चात नियमित सुनवाई हेतु पत्रावली कुचामनसिटी न्यायालय में रखी गई जिसकी तारीख पेशी उपरोक्त अप्रार्थी को 07.01.2022 तारीख पेशी से अवगत कराया गया, उक्त तिथि एवं उसके पश्चात उपरोक्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, अप्रार्थी संख्या 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22 से 28 के नोटिस स्वयं एवं परिवार सदस्यों व लेने सें इन्कार होकर प्राप्त हुये, जो अनुपिस्थत रहे, जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 29 द्वारा दिनॉक 16.11.2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से मंगाई गई, तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अपने पत्रांक/भू.अ./2021/251 ए/03 दिनॉक 16.11.2021 को आई.एल.आर. चितावा एवं पटवारी हल्का चावण्डिया द्वारा तैयार फर्द मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.11.2021 इस कार्यालय में प्रेषित की है। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 462 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 460 में से 9.20 मीटर की चौडाई का रास्ता चाहा गया है उस जगह भागूराम पुत्र जैसाराम के पानी की टंकी व रहवासी मकानात बने हुये है मौके पर बिन्दू संख्या A से B की दूरी 48 मीटर है जबकि लठ्ठा नक्शा के अनुसार 60 मीटर बनती है जबकि बिन्दू संख्या C से D की इसी मौका अनुसार 52 मीटर है जबकि नक्शा लठ्ठा के अनुसार 48 मीटर बनती है प्रार्थी को दोनो मे से उचित स्थान पर 6 मीटर चौड़ा रास्ता दिये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई, जिसमे प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यो को प्रार्थी वकील ने दौहराया है तथा प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने एवं अपने ट्रेक्टर मवेशीयो को भी नही ले जाया जा सकता है इस कारण अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 462 में आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 460 में से होकर रास्ता चाहिए जिसके लिय डी.एल.सी. दर से मुआवजा प्रार्थी अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी बरजी देवी पत्नी स्व. औमाराम मेघवाल चावण्डिया द्वारा पेफाराम भागूराम रूगनाथराम पुत्रान जैसाराम व रूपाराम पुत्र भागूराम मेघवाल के विरूद्व गाली गलोच करने एवं उसके खेत एवं हिस्से की भूमि में आने जाने से रोकने इत्यादि का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है, जो अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) CRPC के तहत प्रकरण सं. 81/2022 दर्ज होकर विचाराधीन है, इससे स्पष्ट है कि अन्य अप्रार्थीगण द्वारा भी रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रार्थी वकील ने बताया है कि उनकी भूमि में आमद रफत एवं पाईप लाईन डालने

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

एवं मवेशियो के लिए आने जाने के लिए तहसीलदार कुचामनसिटी की रिपोर्ट में अंकित बिन्दू संख्या A से B का रास्ता सुगम रहेगा एवं इसी को उपलब्ध कराया जावे। अतः उक्त दोनो प्रस्तावित रास्ते में से बिन्दू संख्या A से B का रास्ता सुगम होने एवं अप्रार्थी बरजी देवी के मकान के पास से होकर गुजरने के कारण यह रास्ता दिया जाना न्यायहित में सुविधाजनक है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार काबिल होने एवं रिपोर्ट इत्यादि से भी प्रार्थना–पत्र प्रार्थी साबित है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उक्त विवेचन से काबिल स्वीकार होने पर स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेश पारीत किया जाता है ।

आदेश

ग्राम चावण्डिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 462 मे आने जाने व आमद रफत हेतु खसरा नम्बर 460 में 60 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा (**60 X 6 = 360**) वर्ग मीटर मौका रिपोर्ट दिनॉक 16.11.2021 में अंकित अनुसार रास्ता सरकारी (कटाणी) कायम किया जाता है । उक्त जमीन की डी.एल.सी दर 686276/–रूपये प्रति हैक्टर से (686276 **X**0.0360मीटर) 24706/– का दोगुना अर्थात 49412/–रूपये अक्षरे उन्चास हजार चार सो बारह रूपये प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की मुआवजा राशि जरिये बैंक डी.डी. /बैंक ड्राफट बैंक से जमा कराकर पेश करने पर तहसीदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने तहरीर जारी हो । मौका रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगी। उक्त राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 न्यायालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर लेवें ।

आदेश आज दिनॉक 14/03/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक /भू.अ./2021/251A/03 दिनांक – 16.11.2021

प्रेषित –

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 471/2021 किशोरसिंह बनाम मदनलाल वगैरह अन्तर्गत 251 ए आर.टी.एक्ट रास्ता बाबत् में मौका रिपोर्ट बाबत्।

प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट/2021/980 दिनांक 27.10.2021

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 471/2021 किशोरसिंह बनाम मदनलाल चावण्डिया वगैरह अन्तर्गत 251 ए आर.टी. एक्ट रास्ता बाबत् प्रार्थना में वर्णित खसरान की मौका रिपोर्ट भू.अ.नि. चितावा व पटवारी चावण्डिया द्वारा तैयार करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी

तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं नागरमल .... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त...चितावा......., कार्यालय, तहसीलदार कुचामन सिटी.... के आदेश कमांक .... दिनांक .... की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 16/11/2024 समय 12:30....बजे आराजी खसरा नम्बर-...460...... वाके ग्राम चावण्डिया... पटवार मंडल चावण्डिया....... पर श्री बलदेवराम.......... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	धन्नाराम	जैसाराम		मेघवाल	अप्रार्थी
2.	भागुराम	जैसाराम		मेघवाल	"
3.	शांतिदेवी पत्नि	केसाराम	45	"	"
4	पूजा	केसाराम	20	"	"
5	किशोरसिंह	हनुमानसिंह		राजपूत	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :-

खसरा नं. 462 में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है

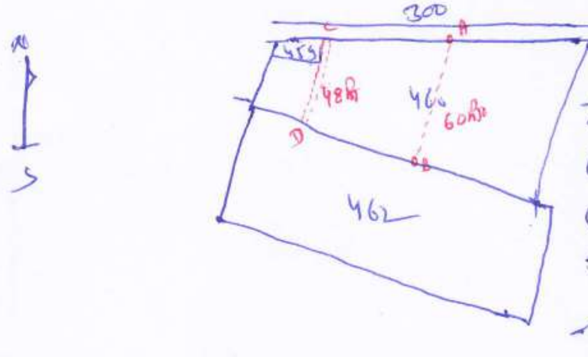

अतः प्रार्थी के उक्त बिन्दु A B ख.नं. 460 में से 9.20 मी. चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। उक्त जगह भागुराम s/o जैसाराम के पक्के ... मकानात बने हुए हैं मौके पर बिन्दु A से B की दूरी 48 मी. है जबकि लट्ठा नक्शा के अनुसार 60 मी. बनती है जबकि बिन्दु C से D की दूरी मौका अनुसार 52 मीटर है जबकि नक्शा लट्ठा के अनुसार 48 मी. बनती है प्रार्थी को कोने के उचित स्थान पर 6 मी. चौड़ा रास्ता दिया जाता है रिपोर्ट मौके की की सेवा में सादर प्रेषित है

[signature] 16/11/2024 चावण्डिया

[signature] 16/11/2024

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	किशोरसिंह	S/o दुर्जनसिंह	राजपूत	(हस्ताक्षर) 9460975041	

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1.	प्रकाश	जेठाराम		मेघवाल	अप्रार्थी
2.	भागुराम	जेठाराम		〃	〃
3.	शांतिदेवी	केसाराम	45	〃	〃
4.	पूजा	केसाराम	20	〃	〃

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
1.	विक्रमसिंह	S/o गोपालसिंह	58	राजपूत	(हस्ताक्षर) 9983486243
2.	मगनसिंह	S/o हरिसिंह	50 वर्ष	राजपूत	मगनसिंह 8769063120

इस प्रकार आज दिनांक 16.11.2024 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

(हस्ताक्षर) 16/11/2024
हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

(हस्ताक्षर) 16/11/21
हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत.........

कार्यालय तहसीलदार (भू–अ) कुचामन सिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक / भू.अ. / 2022 / 666
प्रेषित –

दिनांक – 18.4.22

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
कुचामनसिटी

विषय – राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 471 / 2021 किशोरसिंह बनाम मदनलाल वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में पारित आदेश की पालना बाबत्।
प्रसंग – श्रीमान के पत्रांक कोर्ट / 2022 / 45 दिनांक 21.03.2022

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक विषयांतर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय के राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 471 / 2021 किशोरसिंह बनाम मदनलाल वगैरह रास्ता दिलाने बाबत में पारित आदेश की पालना में पटवारी हल्का चावण्डिया की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 460 में मौका रिपोर्ट 16.11.2021 में दिखाये बिन्दु ए से बी तक को कटानी रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया है जहां पर भागुराम पुत्र जैसाराम के पानी की टंकी व रहवासी मकान बने हुए बताए गए है जिसके कारण बिन्दु ए से बी तक कटानी रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।
संलग्न – पटवारी रिपोर्ट

तहसीलदार (भू.अ.) कुचामन सिटी
तहसीलदार(भू.अ.)कुचामनसिटी

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

कुचामनसिटी

मार्फत: श्रीमान् तहसीलदार कुचामनसिटी

विषय :- राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 49/2021 किशोरसिंह बनाम मन्नालाल वगैरह
रास्ता दिलवाने बाबत में पारित आदेश की पालना हेतु मार्गदर्शन चाहने हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है न्याया० उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के
आदेश क्रमांक कोर्ट/2022/45 दिनांक 21.03.2022 एवं कार्यालय तहसीलदार (भू.रा.)
कुचामनसिटी के आदेश क्रमांक भू.अ./ दिनांक 21.03.2022 की पालना हेतु जाँच की।
उक्त आदेश में ग्राम चावण्डिया के ख०नं. 460 में 60 मीटर लम्बा एवं 6 मीटर चौड़ा
(360 मी²) का रास्ता मौका रिपोर्ट दि 16.11.2021 में दिखाये बिंदु A से B तक की
कार्यवाही दर्ज करने का आदेश दिया है। जबकि पटवारी हल्का चावण्डिया एवं भू अभि.
चितावा द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट दि० 16.11.2021 जो आदेश का भाग है, में A से B
की लम्बाई 48 मी. मौके पर एवं 60 मीटर नक्शा ट्रेस में बताई है वहां आसुराम पुत्र जैसाराम
के पानी की टंकी व रहवासी मकानात बने हुए बताये गये हैं। अतः A से B बिन्दु तक कार्यवाही
रास्ता दर्ज नहीं किया जा सकता।

श्रीमानजी से निवेदन है कि उक्त आदेश की पालना हेतु उचित
मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जावे। रिपोर्ट श्रीमानजी को सादर पेश है।

Sayru 13/04/2022

पटवारी हल्का

संलग्न -

1. मूल आदेश पत्रावली
2. मौका रिपोर्ट दि० 16.11.2021

LR

18.4.22

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

मुकदमा नं. .... प्रार्थना पत्र 6471/2021 - किशोरीलाल / ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज 251'A1 R...	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/4/2022	तहसीलदार कुचामनसिटी के पत्रांक/भू.अ./2022/611 दिनांक 18/4/22 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट 13/4/2022 अनुसार ग्राम भावपुरा(?) के ख.न. 460 में A T B तक कायमी रास्ता बाबत जारी आदेश 14.3.2022 की पालना किये जाने बाबत मौके पर आइदान के पानी की टंकी व रहवासीय मकानात बनाये गये है इसलिए रास्ता कायमी दर्ज नहीं किया जा सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौका रिपोर्ट 16.11.2021 का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी पक्ष को सुना गया। जिसने कथन किया है कि मौका रिपोर्ट में अंकित C TO D स्थान पर अंकित रास्ता बाबत स्थान से कायमी रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण में मौका रिपोर्ट 16.11.2021 अनुसार C TO D स्थान पर 6 फीट चौड़ाई का रास्ता सरकारी (कायमी) घोषित किया जाता है। पूर्व में जारी आदेश को इस आदेश से संशोधित किया जाता है। पूर्व में जारी आदेश 14.03.2022 के शेष आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भावपुरा(?) के ख.न. 462 से आने जाने का आम रास्ता हेतु ख.न. 460 में से मौका रिपोर्ट में अंकित C से D रास्ता सरकारी (कायमी) घोषित किया जाता है तथा उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम कर तहसीलदार ...	DDM 86640 16/3/2022 Rs 45472 21/03/2022